कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 731 /12-1(52) नई टिहरी, दिनांक– 24/10/ 2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (परियोजना),
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0
कांवली रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–टिहरी गढवाल के विकासखण्ड गिलंगना में दीन दयाल उपाध्याय ज्योति के अन्तर्गत ग्राम गैंवाली के विद्युतीकरण का कार्य हेतु परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.50 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।
(ऑन लाईन पत्रावली सं0–FP/UK/VELEC /28564/2017)

सन्दर्भ: भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0–8वी/यू0सी0पी0/09/62/2017/एफ0सी0/1223, दिनांकः–11–10–2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांकः–1342/FP/UK/VELEC/28564/2017, दिनांकः–11–10–2017।

महोदय,

भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद–टिहरी गढवाल के विकासखण्ड गिलंगना में दीन दयाल उपाध्याय ज्योति के अन्तर्गत ग्राम गैंवाली के विद्युतीकरण का कार्य हेतु परियोजना के निर्माण के लिए अपेक्षित 1.50 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का निम्न प्रकार बिन्दुवार अनुपालन किया जायेगाः–

1– **शासन की शर्त सं0–01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दोगुनी 3.00 है0 ग्राम पंचायत कोट के हरि मटूरी नामे तोक सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0–7,59,996.00 (सात लाख उनसठ हजार नौ सौ छियानबे रू0 मात्र) जमा किया जायेगा। मांग की गई धनराशि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

1–हस्तान्तरण हेतु आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 1.50 है0
2–प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित दोगुनी सिविल एवं सोयम भूमि का क्षेत्रफल – 1.50X2=3.00 है0
3–प्रतिपूरक वनी0 एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु निर्धारित आवश्यक धनराशि–मु0–2,53,332.00 प्रति है0
4–प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु कुल धनराशि– 3.00X2,53,332.00=7,59,996.00
(सात लाख उनसठ हजार नौ सौ छियानबे रू0 मात्र)

ग्राम पंचायत कोट के हरि मटूरी नामे तोक सिविल सोयम भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण–पत्र अमल–दरामद मय नक्शा, खसरें के प्रस्तुत करना होगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2– **शासन की शर्त सं0–02** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि मु0–9,85,500.00 (नौ लाख पिचासी हजार पांच सौ रू0 मात्र) जमा किया जायेगा। जिसकी मांग का विस्तृत प्राक्कलन निम्न प्रकार है :–

क्रमशः—2—

Scanned by CamScanner

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

1– ईको–क्लास श्रेणी – V
2– हरियाली का घनत्व – 0.2
3– एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 – रु0–6,57,000.00 (छः लाख सतावन हजार रू0 मात्र)
4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 1.50 है0
5– कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि – 1.50 है0X6,57,000.00=9,85,500.00
(नौ लाख पिचासी हजार पांच सौ रू0 मात्र)

3– शासन की शर्त सं0–03 के अनुपालन में निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

4– शासन की शर्त सं0–04 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

5– शासन की शर्त सं0–05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पंत्र सं0–5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून–248001 एवं इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

6– शासन की शर्त सं0–06 के अनुपालन में User Agency will upload correct data about employment details at para-E online Part-I.

7– शासन की शर्त सं0–07 के अनुपालन में User Agency will provide attendance sheet of Village Level Committee meeting proceedings submitted under FRA.2006 and also provide the hard copy of FRA. certificate and District Level Committee meeting proceedings with date as uploaded online para K Para-I

8– शासन की शर्त सं0–08 के अनुपालन में User Agency will upload 0.25 ha naap land at A1(ix) and B 2.1 to 2.4 online Part-I

अतः शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध करते हुए ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

संख्या : / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

Scanned by CamScanner